न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 39/2018 जिला सीकर

जगदीश प्रसाद पुत्र खांगाराम जाति जाट, निवासी ग्रम रूपगढ, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर
दिनांक 25.2.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक –24.9.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.1.2018 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 17.7.2018 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व(ग्रुप–6)विभाग राज. जयपुर के परिपत्र कमांकः प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/ जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्र कमांकः राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं राजस्व /2016/4328–53 दिनांक 21.11.2016 की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर द्वारा आवागमन के लिये सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेश के उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ को भेजने पर उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने आदेश दिनांक 25.2.2017 पारित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार दांतारामगढ के प्रस्तावित निम्न खसरा नम्बरान की भूमि में से गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये –

क.सं.	नाम पटवार मंडल	राजस्व ग्रम.	खसरा नं.	रास्ते के लिये प्रस्तावित रकबा (है. मे)
1.	रूपगढ	रूपगढ	956 919 921 923	0.0870 0.0270 0.0530 0.0530

उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के उक्त निर्णय दिनांक 25.2.2017 से व्यथित होकर अपीलाट जगदीश प्रसाद पुत्र खांगाराम जाट द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 17.7.2018 को प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय मुताबिक खसरा नम्बर 956 रकबा 0.0870 हैक्टेयर ग्राम रूपगढ, तहसील दांतारामगढ की किस्म गैरमुमकीन रास्ता दर्ज करने के आदेश को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 956 रकबा 2.40 हैक्टेयर ग्राम रूपगढ, तहसील दांतारामगढ , जिला सीकर में 1/12 हिस्से का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है । उक्त आराजी में से पूर्व में कोई रास्ता न तो था और न ही वर्तमान में चालू है । तहसीलदार दांतारामगढ ने दिनांक 13.2.2017 को दीगर आराजियात के अलावा आराजी खसरा नम्बर 956 रकबा 2.40 हैक्टेयर में से 0.0870 हैक्टेयर भूमि को सार्वजनिक रास्ते में प्रयुक्त मानते हुये उप खण्ड अधिकारी को प्रस्ताव प्रेषित किये थे । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की वास्तविक स्थिति को दरकिनार करते हुये एवं अपीलान्ट को सुनवाई का नोटिस जारी न कर न जवाबदेही का अवसर देकर आनन फानन में गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अपीलान्ट विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार था एवं प्रकरण में प्रभावित व्यक्ति था, जिसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करना न्यायिक रूप से आवश्यक था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है । खसरा नम्बर 921 का खातेदार काश्तकार जो अपीलान्ट का पडौसी है , के प्रभाव में आकर तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का आदेश पारित करने में भयंकर काननी भूल की है । विरोधी पक्ष के लोगों द्वारा विवादित आराजी में से रास्ते का उपयोग करने लगे तो अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई ओर नकल प्राप्त कर यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है । अतः न्यायहित में विलम्ब को क्षमा कर अपील अपीलान्ट गुणावगुण के आधार पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ दिनांक 25.2.2017 अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 956 रकबा 0.0870 की हद तक निरस्त किया जावे ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि में से प्रचलित रास्तों के रूप से 30–40 वर्षों से रास्ता चालू होने बाबत पटवारी हल्का ने फर्द मौका रिपोर्ट में अंकन किया है तथा इसी के आधार पर तहसीलदार दांतारामगढ ने आराजी खसरा नम्बर 956, 919, 921, 923 में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने की अभिशंषा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी को प्रेषित की थी एवं अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की अभिशंषा एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांकः प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्र क्रमांकः राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं राजस्व /2016/4328–53 दिनांक 21.11.2016 की पालना में आदेश दिनांक 25.2.2017 पारित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनिम की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के

अनुसार तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा प्रस्तावित विवादित भूमि में से गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये हैं । कायम किया गया गैर मुमकीन रास्ता आम जन की सुविधा के लिये है जिसमें ग्रम पंचायत के निवासी आते जाते हैं । उनका कहना था कि मौके पर विवादित भूमि में से रास्ता चालू था, लेकिन राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन नहीं था । उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने तहसीलदार दांतारामगढ के प्रस्ताव पर सभी काश्तकारों की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं, जो जनहित में होने से उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि 956 रकबा 0.0870 हैक्टेयर ग्रम रूपगढ, तहसील दांतारामगढ में से उन्हें बिना सुने व बिना नोटिस दिये अपीलाधीन आदेश द्वारा गैर मुमकीन रास्ता कायम करने के संबंध में है । माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांकः प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्र क्रमांकः राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं राजस्व /2016/4328–53 दिनांक 21.11.2016 की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेश के उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ को भेजने पर उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने आदेश दिनांक 25.2.2017 पारित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनिम की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59,60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा प्रस्तावित खसरा नम्बरान की भूमि में से गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये है ।

उपरोक्त तथ्यों को परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि जमाबन्दी संवत 2071 ग्रम रूपगढ के अनुसार अपीलान्ट विवादित भूमि खसरा नम्बर 956 रकबा 2.400 में से 1/12 हिस्से का खातेदार होने से प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार है । विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्यायालय को आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी प्रभावित/ हितबद्ध व्यक्ति को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर ने अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.2.2017 पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अतः प्रकरण के तथ्यों , गुणावगुण एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपना कर न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ दिनांक 25.2.2017 ग्रम रूपगढ स्थित आराजी खसरा नम्बर 956 रकबा 0.0870 की हद तक निरस्त करते हुये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर को

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 25.2.2017 ग्रम रूपगढ स्थित आराजी खसरा नम्बर 956 रकबा 0.0870 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर को उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य मे पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 24.9.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर